न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 32 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 38)	30.01.2024	12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

लखानाथ आ.मोतीलाल, भूरानाथ आ.गुरूवरनाथ, कामनाथ आ.जीवननाथ
जाति कालबेलिया, निवासी ग्राम जहूरिया, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बूंदी (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 60 / 247, 61 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाकेग्राम जहूरिया आवंटन आदेश दिनांक 31.08.2006 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 32 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 38 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 784 दिनांक 12.03.24 के अनुसार अप्रार्थीगण के अन्यत्र पलायन कर जाने से उनके घर परिवार एवं निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि लखानाथ आ. मोतीलाल, भूरानाथ आ. गुरूवरनाथ, कामनाथ आ. जीवननाथ जाति कालबेलिया निवासी जहूरिया को दिनांक 31.08.2006 को भूमि खसरा सं. 60/247 रकबा 0.12 है. एवं ख.सं. 61 रकबा 0.28 है. कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाकेग्राम जहूरिया का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जहूरिया की नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार भूमि खसरा स. 60/247, 61 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 16.10.2020 अनुसार भूमि खसरा सं. 60/247, 61 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटियों के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु उनके वारिसान के संबंध में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.3.24 के संलग्न आई.एल.आर. एवं हल्का पटवारी, गूंथा की मजमेआम रूबरू गवाहन तैयार की गई रिपोर्ट से प्रकट होता है कि आवंटी या उनके वारिसान उक्त ग्राम में निवास नहीं कर अन्यत्र पलायन कर चले गये है जिनके वर्तमान निवास की ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आवंटी के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना तथा उनको नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के दर्ज गैर खातेदारान के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवंटी एवं उनके वारिसान के वाकेग्राम जहूरियां में निवास नहीं करने तथा उनके बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं होने से भी यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उनके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी लखानाथ आ. मोतीलाल, भूरानाथ आ. गुरूवरनाथ, कामनाथ आ.जीवननाथ जाति कालबेलिया निवासी जहूरिया को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 60/247 रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं ख.सं. 61 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाकेग्राम जहूरिया दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर बून्दी (राज.)
सत्यमेव जयते